



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1029]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2016/वैशाख 9, 1938

No. 1029]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2016/ VAISAKHA 9, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2016

का. आ. 1586(अ).—जबकि, स्वापक औषधी तथा मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप-धारा के तहत दिनांक 11.08.2015 के फाइल संख्या यू-11011/3/2015-पीआईटीएनडीपीएस के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री दीन मुहम्मद खान ऊर्फ दीना खान ऊर्फ दीना, सुपुत्र श्री इश्क निवासी (1) न्यू मेवात, हरियाणा के नजदीक दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी, नगर रोड, करमाला टैमबूरनी, जिला शोलापुर, महाराष्ट्र और (2) गांव-मालपुरी, रूपरा, तहसील- हथिन, जिला पलवल, हरियाणा को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों का अवैध व्यापार करने से रोकने के उद्देश्य से उन्हें केंद्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली में रोका जाए तथा अभिरक्षा में रखा जाए।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश तामील न किया जा सके।

3. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से दस दिन के अंदर वह महानिदेशक, पुलिस हरियाणा के सामने उपस्थित हो।

[सं. यू-11011/3/2015-पीआईटीएनडीपीएस]

विनेश पचनंदा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****ORDER**

New Delhi, the 29th April, 2016

S.O. 1586(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued a Detention Order under F. No. U – 11011/3/2015 – PITNDPS dated 11.8.2015 under the said sub-section directing that Shri Din Mohd Khan @ Dina Khan @ Dina, s/o Shri Ishaq resident of (1) Near New Mewat Haryana Delhi Transport Company, Nagar Road, Karmala, Tembhurni, District Sholapur, Maharashtra and (2) Village- Malpuri, Rupra, Tehsil- Hathin, Distt Palwal, Haryana, be detained and kept in custody in Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from engaging in illicit trafficking of narcotic drugs & psychotropic substances.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the said detention order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Haryana within 10 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[No. U-11011/3/2015-PITNDPS]

VINESH PACHNANDA, Under Secy.